(आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 05.06.2026 को अपलोड किए जाने हेतु)

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003.

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

विज्ञप्ति

वरिष्ठ सचिवालय सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025

ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि	**05.06.2026 से 26.06.2026 तक**
ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	**26.06.2026 (2300 बजे)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन	**जुलाई-अगस्त-2026**

सं. 4/1/2026-गो.-5: कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित सेवाओं/संवर्गों के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड [वेतन स्तर-4 समूह 'ग' अराजपत्रित (रु 25500 - रु 81100)] के पदों की चयन सूची में परिवर्धन करने के लिए (रिक्तियों के उपलब्ध होने के अध्यधीन) संभावित रूप से जुलाई-अगस्त 2026 माह में दिल्ली एनसीआर में एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा :

क्रम सं.	संवर्ग/सेवा का नाम
1	केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय
2	सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा
3	रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा, रेल मंत्रालय
4	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
5	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
6	भारत निर्वाचन आयोग
7	भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
8	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन
9	महानिदेशालय, रक्षा संपदा
10	विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2. **रिक्तियां**: उपर्युक्त सेवाओं/संवर्गों के संबंध में भर्ती वर्ष 2025 के लिए अनंतिम रिक्तियों का विवरण, जैसा कि उनके संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**सेवा/ संवर्ग का नाम**	**अना**	**अजा**	**अजजा**	**योग**	**बे.दि.**
1.	केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय	46	19	11	**76**	04
2.	सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा	31	07	04	**42**	03 (दृ.दि., श्र.दि. एवं अ.दि.)
3	रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा	13	04	02	**19**	03 दिव्या. (2नेत्रहीन/अल्प दृष्टि, 01 बधिर/ श्र.दि.) [1 नेत्रहीन/अल्प दृष्टि, 01 बधिर/ श्र.दि., यदि संबंधित श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं तो इसे अन्य उपलब्ध पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के साथ परिवर्तित किया जा सकता है]
4	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	15	06	03	**24**	02 (01-अ.दि., 01- दृ.दि.)
5	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	05	01	-	**06**	01 (कोई भी श्रेणी)
6	भारतीय निर्वाचन आयोग	09	02	01	**12**	01 (अना- अ.दि.)
7	भारत वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	03	01	-	**04**	-
8	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	07	01	-	**08**	-
9	महानिदेशालय, रक्षा संपदा	07	01	-	**08**	-
10	विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22	04	02	**28**	01 (दृ.दि.)

3. आयोग परीक्षा-स्थल (स्थलों), केंद्र (केंद्रों), तिथि और समय को अपने विवेककाधिकार का प्रयोग करते हुए बदल सकता है। यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो आयोग किसी अभ्यर्थी को एक अलग केंद्र आवंटित कर सकता है। परीक्षा की तिथि में कोई भी बदलाव, यदि कोई हो, तो उसे क.च.आ.(मु.) (https://ssc.gov.in) / क.च.आ.-उ.क्षे. (https://sscnr.nic.in) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

टिप्पणी-I:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी -II: -यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाणपत्र में आयोग द्वारा निर्दिष्ट केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण सेवा/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा रिपोर्ट की गई संबंधित श्रेणियों में रिक्ति स्थिति के अनुसार होगा।

5. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा।

6. परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है :-

i. एक बारगी पंजीकरण
ii. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना ।

7. अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में केवल एक आवेदन पत्र जमा करना चाहिए। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा होने के बाद, उसकी प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध- I)** के अनुसार उनकी संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित की जानी चाहिए जो दिनांक 03.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए ।**

10. विदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध- I)** के अनुसार उनके संबंधित सेवा/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित किया जाना चाहिए जो दिनांक 10.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए ।**

टिप्पणी-I :- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा जिनका आवेदन उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो । इसके अतिरिक्त, वे यह भी ध्यान रखें कि आयोग उनके आवेदन प्राप्त न होने या आवेदन देरी से प्राप्त होने की दशा में किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा। आयोग में उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन (आवेदनों) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को, उनके हित में, यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और पृष्ठांकित किया गया है और उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा इस प्रकार से अग्रेषित किया गया है कि उनके आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि और समय से काफी पहले पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II:- आवेदकों के विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित करना होगा कि वे निर्धारित तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-III:- अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के आवेदन अग्रेषित करते समय, **संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) की मूल सेवा/संवर्ग इस परीक्षा के अंतर्गत भाग लेने वाली सेवा(सेवाओं)/ संवर्ग(संवर्गों) में से एक है और अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा कर रहा है ।**

11. इस परीक्षा से संबंधित सभी पत्राचार **क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003** को संबोधित किए जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण होने चाहिए : -

(i) परीक्षा का नाम और वर्ष
(ii) अभ्यर्थी का नाम (पूर्ण और बड़े अक्षरों में)
(iii) अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम
(iv) रोल नंबर या जन्म तिथि (यदि अभ्यर्थी को रोल नंबर प्राप्त नहीं हुआ है)
(v) डाक पता जैसा कि आवेदन में दिया गया है

12. उपरोक्त पैरा-11 में यथा-वर्णित विवरण से रहित पत्राचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के साथ सभी पत्राचार में, अभ्यर्थियों को अपने लिफाफों पर ऊपर निरपवाद रूप से शब्दों व अंकों में **"वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025"** अवश्य लिखना चाहिए।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मु.)

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

1. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों जैसे; कंप्यूटर आधारित परीक्षा, लिखित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन के लिए उन्हें आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, लिखित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन से पहले या बाद में, यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवेदन किए गए पद के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में नोटिस में निर्धारित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को **अनुबंध-IV (एकबारगी पंजीकरण)** और **अनुबंध-V (ऑनलाइन आवेदन पत्र)** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए अनुदेशों को पढ़ना चाहिए।

3. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-IV** में ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

4. आवेदन पत्र केवल एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-IV** और **अनुबंध-V** को देखें। एक बारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र के नमूने प्रपत्र **अनुबंध-IVक** और **अनुबंध-Vक** के रूप में संलग्न हैं।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

6. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
ख. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
ग. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

घ. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।

ङ. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

7. **अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, चश्मे या टोपी के बिना हो और सामने का भाग दिखाई दे रहा हो ।** ऐसी फोटो वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमे निर्देशों के अनुसार नहीं खींची गई है, अस्वीकृत किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए । ऐसी सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई हो, सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे ।

8. **परीक्षा के दौरान लोगो द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिरूपण का प्रयास करने के मामले सामने आए हैं। इसलिए, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का स्वरूप आवेदन पत्र के साथ जमा की गई फोटो से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें। अतः अभ्यर्थियों को अपने हित में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दिन उनका स्वरूप आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार ही हो।**

9. अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे । हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । अनुपयुक्त फोटो युक्त अथवा धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदनपत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

10. अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, उपस्थिति पत्र, परीक्षा हॉल में आयोग की प्रति और आयोग के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान हों और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर न हो। यदि हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो आयोग द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है ।

11. **अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:**

(i) सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति जोकि उस विभाग के प्रमुख या कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हो जिसमें अभ्यर्थी आवेदन करते समय सेवारत है और जिसमें सरकारी कर्मचारी के विवरण *अर्थात* अभ्यर्थी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, विवाहित सरकारी सेवारत महिलाओं के मामले में पति का नाम, राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति / जनजाति का नाम, यदि अभ्यर्थी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो, ईसा-वर्ष में जन्म-तिथि (अंकों व शब्दों, दोनों में), दर्शाया गया हो ।

(ii) आवेदन करते समय जहां वह कार्यरत है, उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित सेवा संबंधी विवरणों की सत्यप्रतिलिपि जिसमें वेतनमान और कार्य क्षमता अर्थात पद-स्थिति, यथा- मूल, स्थानापन्न, स्थायी या अस्थायी सहित धारित पद दर्शाया गया हो ।

(iii) आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि लागू हो।

(iv) सेवा में रहते हुए दिव्यांग रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र, जहां भी लागू हो।

(v) बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मामले में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

टिप्पणी - कर्मचारी चयन आयोग यदि आवश्यक समझे तो सेवा पंजिका या अन्य दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

12. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई आवेदन अधूरा है या गलत तरीके से भरा गया है या उपरोक्त पैरा 11 के तहत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज के बिना है, तो आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसकी अस्वीकृति के विरूद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक 26.06.2026 (2300 बजे तक) है।

14. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। उपर्युक्त कारणों या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को पूर्वावलोकन/ प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही जानकारी भरी है। उन्हें यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन की एक प्रति अपने पास रखने की सलाह दी जाती है।

17. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय को उन्हें कोई भी गलत/त्रुटिपूर्ण /भ्रामक सूचना नहीं देनी चाहिए या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाना चाहिए।

18. आयोग परीक्षा के समय, पात्रता और अन्य पहलुओं हेतु ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंडों की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित कर लें कि वे पद(पदों) के लिए पात्र हैं।

19. वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में निर्धारित तिथि व समय तक पंजीकरण और आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन इस परीक्षा की विज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक आवंटित किए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे।

20. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट और जानकारी के लिए आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

21. अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन केवल **दिल्ली-एनसीआर** में ही किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित जानकारी, जिसमें समय सारिणी और परीक्षा केंद्र का विवरण शामिल होगा, परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट अर्थात https://sscnr.nic.in पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पहले तक, आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए जिसमे विफल होने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने के किसी भी दावे से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा । प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा क.च.आ. (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-4 दिन पहले उपलब्ध होगी।

टिप्पणी:- अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेश में स्थित किसी भी भारतीय दूतावास में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। विदेश में स्थित किसी भारतीय दूतावास में कार्यरत अभ्यर्थी को यह परीक्षा भारत में अपने खर्च पर देनी होगी।

22. आयोग किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

23. परीक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा जारी किया गया विभागीय पहचान पत्र (मूल) और प्रवेश प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग से कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

24. जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा और अनिवार्य रूप से कम से कम दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो और प्रवेश प्रमाणपत्र पर छपी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो-पहचान पत्र साथ लाना होगा; अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि:

24.1 मतदाता पहचान पत्र
24.2 ड्राइविंग लाइसेंस
24.3 पैन कार्ड
24.4 पासपोर्ट
24.5 स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र
24.6 नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू)
24.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक कार्यमुक्ति पुस्तिका ।
24.8 राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र ।

25. यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (अर्थात सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र, अंक सूची (मार्क्सशीट), जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएग। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है ।

26. **पैरा 36 (क), 36 (ख), 36 (ग) के अनुसार** प्रलिपिक/तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा का लाभ उठाने वाले दिव्यांग /बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी जैसाकि इसमें निर्दिष्ट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र/वचन पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के समय प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी साथ लाना होगा।

28. कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार कर्मियों की भर्ती करता है। प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज), बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

29. **परीक्षा के लिए नियम:-**

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2025 के लिए आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम, जो अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित विभाग/संवर्ग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक के चयन सूची में शामिल होने के लिए है, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

30. **निर्णायक तिथि और पात्रता की शर्तें :-**

क्र. सं.	सेवाओं/ संवर्गों का नाम	मान्य सेवा की गणना के लिए निर्णायक तिथि	पात्रता की शर्तें
1	केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय	**जुलाई का पहला दिन (01.07.2025)**	कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक पद के लिए, नियमित नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में **6 वर्ष की सेवा** पूरी कर चुके अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **स्नातक की डिग्री** या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
2	सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा	**जुलाई का पहला दिन (01.07.2025)**	निर्णायक तिथि पर उसकी जेएसए ग्रेड में कम से कम **पांच वर्ष** की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए बशर्ते कि यदि वह सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि से कम से कम **पांच**

			वर्ष पहले घोषित होना चाहिए और उसकी उस ग्रेड में कम से कम **चार वर्ष** की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए। **नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन अधिकार रखते हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
3	रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा, रेल मंत्रालय	**अगस्त, 2025 का पहला दिन (01.08.2025)**	(1) सेवा का कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा: - **(क) <u>सेवावधि</u>** – निर्णायक तिथि पर सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी कम से कम **पांच वर्षों** की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए बशर्ते कि सैन्य कर्तव्यों पर उसकी अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को अवर श्रेणी ग्रेड में सेवा की निर्धारित अवधि के लिए गिना जा सकता है। बशर्ते कि यदि वह सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि से कम से कम **पांच वर्ष** पहले घोषित होना चाहिए और उसकी उस ग्रेड में कम से कम **चार वर्षों** की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए। **नोट:** सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर गैर-संवर्ग पदों पर नियुक्त

			अवर श्रेणी लिपिक, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। बशर्ते कि यह नियम उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें गैर-संवर्ग पद या अन्य सेवा में "स्थानांतरण" द्वारा नियुक्त किया गया है और जिनका सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में कोई आधिपत्य (लियन) नहीं है। **(ख) टंकण परीक्षा:** जब तक उसे अवर श्रेणी ग्रेड में पुष्टिकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग या सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट नहीं मिल जाती, उसे परीक्षा की अधिसूचना की तारीख पर या उससे पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। **(ग) आयु:- निर्णायक तिथि तक उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।** बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली ऐसे श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में, प्रत्येक श्रेणी हेतु अधिसूचित सीमा तक और शर्तों के अधीन रहते हुए, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है । **नोट:** आपातकाल के कारण सैन्य सेवा में शामिल होने वाले अवर श्रेणी लिपिकों की पात्रता के संबंध में विशेष प्रावधान: इस संबंध में रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से उन अवर श्रेणी लिपिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा में शामिल होने (या बुलाए जाने) के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
4		**जनवरी, 2025 का पहला दिन**	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता सेवा अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में **पांच वर्ष** की नियमित सेवा होगी

	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	**(01.01.2025)**	**नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
5	केंद्रीय सतर्कता आयोग	**जनवरी, 2025 का पहला दिन (01.01.2025)**	कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिसने वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर **पांच वर्षों** की नियमित सेवा की हो।
6	भारत निर्वाचन आयोग	**जुलाई, 2025 का पहला दिन (01.07.2025)**	कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक, जिसने इस पद पर कम से कम **तीन वर्ष** की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है। बशर्ते कि यदि उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर ईसीआई सचिवालय सेवा में जेएसए के पद पर नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी परीक्षाओं का परिणाम **निर्णायक तिथि से कम से कम तीन वर्ष** पहले घोषित किया गया हो और अभ्यर्थी ने इस पद पर कम से कम **दो वर्ष की मान्य और निरंतर सेवा** प्रदान की हो। **नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

7	भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	**जनवरी, 2025 का पहला दिन (01.01.2025)**	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग में इस श्रेणी में **पांच वर्ष** की नियमित सेवा वाला अवर श्रेणी लिपिक। **नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
8	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	**जनवरी, 2025 का पहला दिन (01.01.2025)**	एनटीआरओ के कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में कम से कम **पांच वर्ष** की नियमित सेवा की हो **नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
9	महानिदेशालय, रक्षा संपदा	**जनवरी, 2025 का पहला दिन (01.01.2025)**	हिंदी टंकक जिन्होंने **पांच वर्ष** की नियमित सेवा की हो **(ग) आयु: निर्णायक तिथि तक उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
10	विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**जनवरी, 2025 का पहला दिन (01.01.2025)**	सातवें वेतन आयोग के अनुसार स्तर-2 में एमएसएमई-डीओ के अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में **पांच वर्ष** की नियमित सेवा की हो। **नोट:** कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गैर-संवर्ग पदों पर

			प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जो सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में लियन पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

31. आयु:- जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, कुछ संवर्ग/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु मानदंड निर्धारित किए हैं । अभ्यर्थी की आयु उनके संबंधित संवर्ग/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उनके कैडर के लिए निर्णायक तिथि पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुमत्य छूट**
01.	अजा/अजजा	05 वर्ष
08.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
09.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष

आयु छूट का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक **(अनुबंध-IX)** के दावे के समर्थन में, महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

32. अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) अभ्यर्थियों और बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए आरक्षण, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा ।

33. यदि निर्धारित आधार पर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों (विभागीय परीक्षा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आदि के माध्यम से पदोन्नति के मामले में) को भरने के लिए मानक में छूट के आधार पर इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सभी बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समान शिथिल मानक लागू किया जाएगा, भले ही वे अनारक्षित/ अ.जा. / अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हों। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में किसी और छूट पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

34. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा ऊपर उल्लिखित शिथिल मानक का सहारा लिए बिना अनुशंसित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। .

35. ऐसा अभ्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या उसमें उपस्थित होने के बाद, अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या उससे अपना संबंध तोड़ देता है या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है या जो 'स्थानांतरण' पर किसी संवर्ग वाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त हो जाता है और कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक में धारणाधिकार (लियन) नहीं रखता है, वह इस परीक्षा के परिणाम पर अपनी संबंधित सेवाओं / संवर्गों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

36. प्रलिपिक/ तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता और प्रतिपूरक समय का प्रावधान :

क. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और नेत्रहीनता की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता उपलब्ध की जाएगी, जोकि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, संबंधित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (**अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII)** अपलोड करने पर तथा दिव्यांगता इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान होने पर, आयोग को अनुरोध करने के अध्यधीन होगी।

ख. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले शेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में, सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुबंध -II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पर प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की अत्यावश्यक है। साथ ही, **आवेदन पत्र भरते समय** आवश्यक प्रमाणपत्र (**अनुबंध-II/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड करना अनिवार्य है ।** अभ्यर्थियों द्वारा **अनुबंध-II/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र** प्रस्तुत किए गए **दिव्यांगजन** / **दिव्यांगता प्रमाणपत्र** की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

ग. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार, 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में अक्षम दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-III** में दिए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, **आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक प्रमाण पत्र (अनुबंध-III/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करना अपेक्षित है। अनुबंध-III/दिव्यांगता प्रमाणपत्र** के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

घ. बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होने ऑनलाईन आवेदनपत्र में इस विकल्प का चयन किया हो।

ङ. **उपर्युक्त पैरा 36 (क), 36 (ख) एवं 36 (ग)** के अनुसार प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा के लिए पात्र व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

च. **उपर्युक्त पैरा 36 (क), 36 (ख) एवं 36 (ग)** से संबंधित अभ्यर्थी, जो प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा लेने के पात्र हैं, परंतु इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

छ. बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा और/ अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

37. <u>परीक्षा की योजना:</u> परीक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रम और योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:

<u>भाग- I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा और लिखित परीक्षा (300 अंक)</u>

<table>
<tr><th>विषय</th><th>पेपर</th><th>प्रश्नों की संख्या</th><th>अधिकतम अंक</th><th>समय अवधि</th></tr>
<tr><td>(क) सामान्य जानकारी</td><td rowspan="2">I</td><td>100</td><td rowspan="2">200</td><td rowspan="2">2 घंटे
(प्रलिपिक* के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट)</td></tr>
<tr><td>(ख) अंग्रेजी भाषा और बोधगम्यता</td><td>100</td></tr>
<tr><td>(ग) टिप्पण, प्रारूपण एवं कार्यालय प्रक्रिया

(पारंपरिक प्रकार)</td><td>II</td><td>--</td><td>100</td><td>2 घंटे
(प्रलिपिक* के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट)</td></tr>
</table>

*** उपर्युक्त पैरा 36 (क), 36 (ख) एवं 36 (ग) के अनुसार।**

(i) भाग-I में दो पेपर होते हैं; अर्थात पेपर-I- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (200 अंक) और पेपर-II-लिखित परीक्षा (100 अंक)। पेपर-I में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जबकि पेपर-II वर्णनात्मक प्रकार का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अर्थात पेपर-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा।

(ii) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में चयनित भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) में ही परीक्षा देनी होगी। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ब्रेल लिपि के प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते हैं और अभ्यावेदन, यदि कोई है, तो 50/- प्रति प्रश्न का भुगतान कर, जोकि अप्रतिदेय है, आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन; अर्थात, पत्र, आवेदन, ईमेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजियां परिणाम की घोषणा के बाद जारी की जाएंगी।

(iv) चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं। अभ्यर्थी कृपया इन्हें पढ़ें, क्योंकि चुनौती/आपत्ति/ अभ्यावेदन प्रबंधन इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(v) परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर में अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) परीक्षा विज्ञप्ति में दर्शाया गया परीक्षा का कार्यक्रम संभावित है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

भाग-II सेवा के अभिलेख का मूल्यांकन (100 अंक):

(i) सेवा अभिलेख (एपीएआर) के मूल्यांकन के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। अभ्यर्थी का रैंक सुनिश्चित करने के लिए भाग- II में प्राप्त अंक जोड़े जाएंगे।

(ii) एक बार एपीएआर का मूल्यांकन हो जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अगली तारीख पर एपीएआर ग्रेडिंग आदि में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

38. परीक्षा का पाठ्यक्रम और मानक: परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा:

पेपर-I

(क)**सामान्य जानकारी:** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

(ख)**अंग्रेजी भाषा एवं बोधगम्यता:** अंग्रेजी भाषा की समझ एवं ज्ञान, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विलोमार्थक शब्द, वाक्य पूर्ण करना, वाक्यांशों और मुहावरों के उपयोग का परीक्षण करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। अवतरण (पैसेज़) की समझ पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। । प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

पेपर-II

टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया: टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया पर प्रश्नपत्र, सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में कार्यालय प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थियों के ज्ञान, सामान्य रूप से टिप्पणी और प्रारूप लिखने समझने का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कार्यालय प्रक्रिया नियमावली/ रेल मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, लोकसभा और राज्य सभा में प्रक्रिया नियमावली और कार्य संचालन के नियम, संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के उपयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की विवरण पुस्तिका और सेवाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति, और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

39. चयन की प्रक्रिया:

i. आयोग अपने विवेकानुसार भाग-I के पेपर-I (अर्थात सीबीई) और पेपर-II (अर्थात वर्णनात्मक) के लिए न्यूनतम अर्हता अंक अलग-अलग निर्धारित कर सकता है।

ii. भाग-I के पेपर-I (अर्थात सीबीई) में प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को भाग-I के पेपर-II (अर्थात वर्णनात्मक) के मूल्यांकन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी भाग-I के पेपर-I (अर्थात सीबीई) में उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे भाग-I के पेपर-II (अर्थात वर्णनात्मक) के हेतु पात्र नहीं होंगे और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. भाग-I के पेपर-I और पेपर-II में समग्र प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन, अर्थात् भाग-II हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी भाग-I के पेपर-I + पेपर-II में उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन, अर्थात् भाग-II के लिए योग्य नहीं होंगे और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. अंतिम चयन, भाग-I के पेपर-I (अर्थात सीबीई) तथा पेपर-II (अर्थात वर्णनात्मक) और भाग-II (एपीएआर मूल्यांकन) में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

v. परीक्षा के बाद, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम, भाग लेने वाले संवर्गों/सेवाओं के लिए, अलग-अलग सूचियों में, योग्यता के क्रम में, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के साथ, आयोग द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे ताकि आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हक पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या तक परीक्षा के नोटिस के पैरा 01 में सूचीबद्ध मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक की चयन सूची में शामिल करने की सिफारिश की जा सके।

vi. बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी बशर्ते कि ये अभ्यर्थी सेवा में चयन के लिए उपयुक्त हों।

vii. बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा इस उपनियम में उल्लिखित मानकों में छूट दिए बिना ही सिफारिश की गई है, उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

viii. विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में वरिष्ठ सचिवालय सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक का चयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन, योग्यता के क्रम में, संबंधित सेवा/संवर्ग द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश नहीं की गई है उनके अंक कट-ऑफ अंक से कम हैं; अर्थात, वे मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए हैं और परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

ix. अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगी परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक की चयन सूची में कितने अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएं, यह तय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के तौर पर इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने का कोई दावा नहीं करेगा।

x. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी यथा आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए अभ्यर्थी हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

40. बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान:

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी का समाधान होने तक दिए गए क्रम में निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके बराबरी का समाधान किया जाएगा।

(i) पेपर- II मे प्राप्त अंक

(ii) पेपर- I के भाग (ख) मे प्राप्त अंक

(iii) जन्म तिथि, अधिक आयु के अभ्यर्थी को पहले लिया जाएगा

(iv) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

41. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

i. आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रूप से परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच करना भी शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करना और उसे भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

ii. यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके पश्चात निम्नलिखित सूचीबद्ध कदाचारों में से किसी में भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त प्रवृत्त कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना परीक्षा स्थल को छोड़ना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष

5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना/ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना। ।	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना/प्रयास करना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो।	03 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्त्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना आदि।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी जिसका एक ही परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में बैठना अथवा प्रलिपिक के बारे में गलत जानकारी घोषित करना।	03-05 वर्ष
18 क	अभ्यर्थी/ प्रलिपिक का एक ही परीक्षा में 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में एक से अधिक बार बैठना।	03 वर्ष
18 ख	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना, जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया गया हो।	03 वर्ष
19	परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या अभ्यर्थी को किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है।	07 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न भर्तियों में अलग पिता का नाम, जन्मतिथि आदि के साथ आवेदन करना अथवा इसके विपरीत।	01-05 वर्ष
21	प्रतिरूपणकर्ता (कर्मचारी चयन आयोग के रिकार्ड के अनुसार) अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में उपस्थित होना।	07 वर्ष
22	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना अथवा ऐसे प्रलिपिक को नियुक्त करने वाला अभ्यर्थी।	05-07 वर्ष

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

iii. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या यथा-स्थिति ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे:-

(I) आयोग द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसका वह अभ्यर्थी है अथवा

(II) उसे या तो स्थायी रुप से या एक विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है:

(क) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या उनके किसी चयन से,
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से और
(ग) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक और कोई अन्य उपयुक्त कानूनी कार्यवाही।

iv. आयोग उचित लगने पर मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है।

v. अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश की जाती है तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

42. आवेदन पत्र भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

i. हेल्प डेस्क (एसएससी-मुख्यालय) 1800 309 3063 (टोल फ्री)
ii. एसएससी (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली 011-24363343

43. आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ/ पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

44. न्यायालय का क्षेत्राधिकार : इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (परीक्षाएं) दी है।

अनुबंध-II

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा - उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

<u>अनुबंध-III</u>

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमनें श्री / सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ___________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यवसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ……… अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:
तारीख:

अनुबंध-IV

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.एक बारगी पंजीकरण

II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। जो अभ्यर्थी आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते, उन्हें अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i.मतदाता पहचान पत्र
     - ii.पैन
     - iii.पासपोर्ट
     - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
     - v.स्कूल/कॉलेज पहचान पत्र
     - vi.नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

4. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाईट अर्थात http://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or register' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. मूलभूत विवरण
   - ख. पासवर्ड बनाना
   - ग. अतिरिक्त जानकारियां
   - घ. घोषणा।

6. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें**:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या- 8 से 10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

<u>पासवर्ड बनाना</u>

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगइन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

<u>अतिरिक्त विवरण</u>

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बैंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

र. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

ल. मूलभूत विवरण प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

7. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) विवरण को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते हैं अतः आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।

8. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-IVक

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉर्ट्स

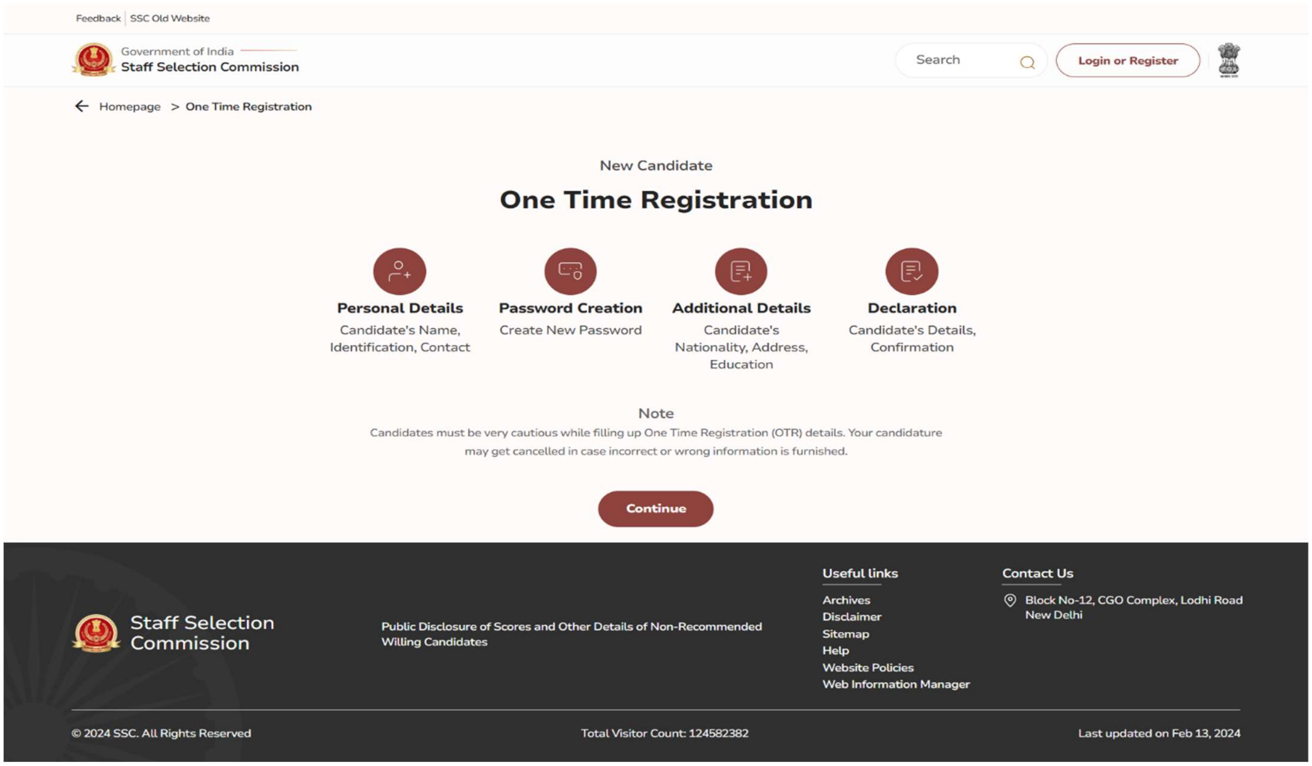

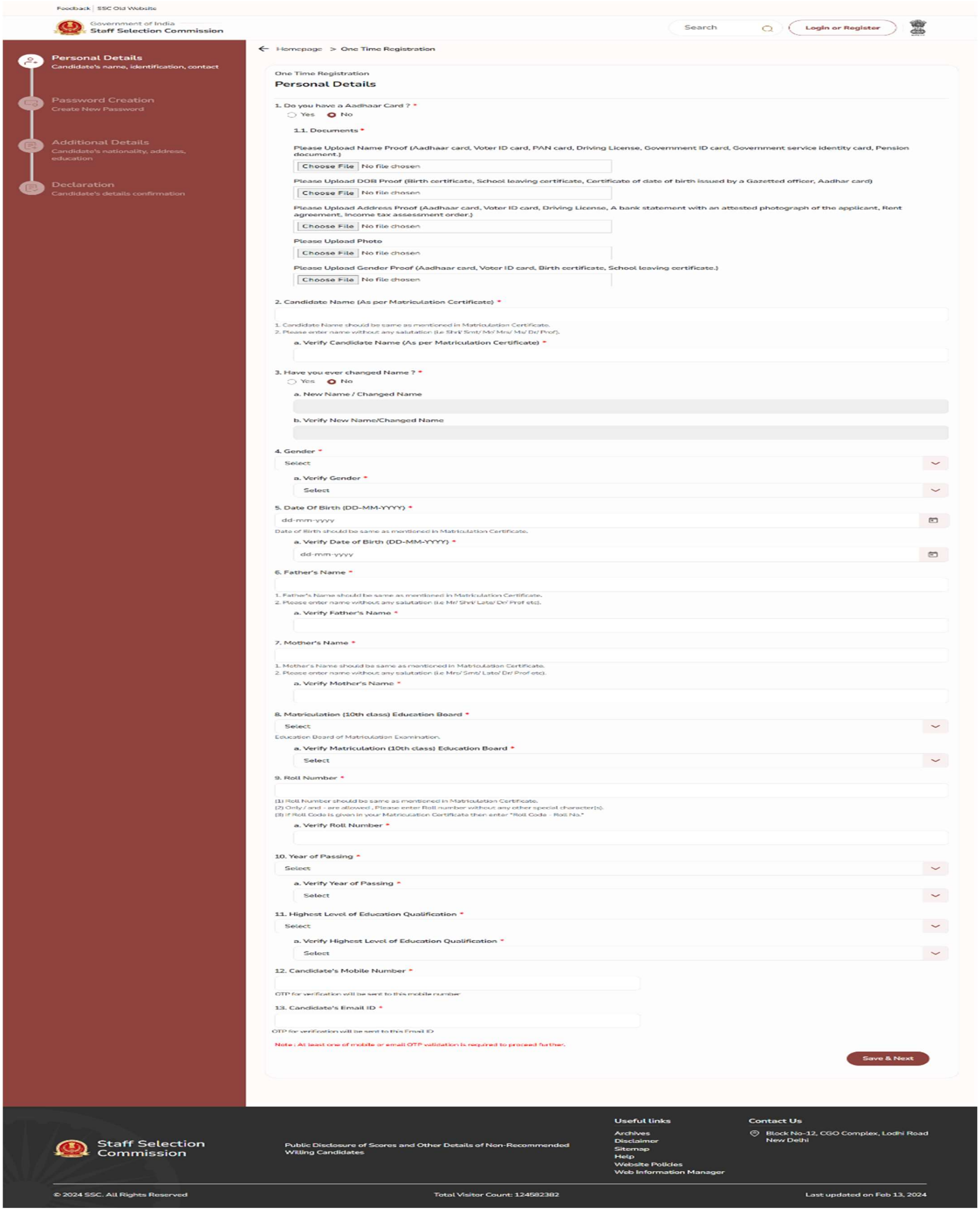

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
One Time Registration
Personal Details
1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No
1.1. Documents *
Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen
Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen
Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen
Please Upload Photo
Choose File No file chosen
Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen
2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name
4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select
5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *
7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *
8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select
9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *
10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select
11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select
12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number
13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID
Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.
Save & Next
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

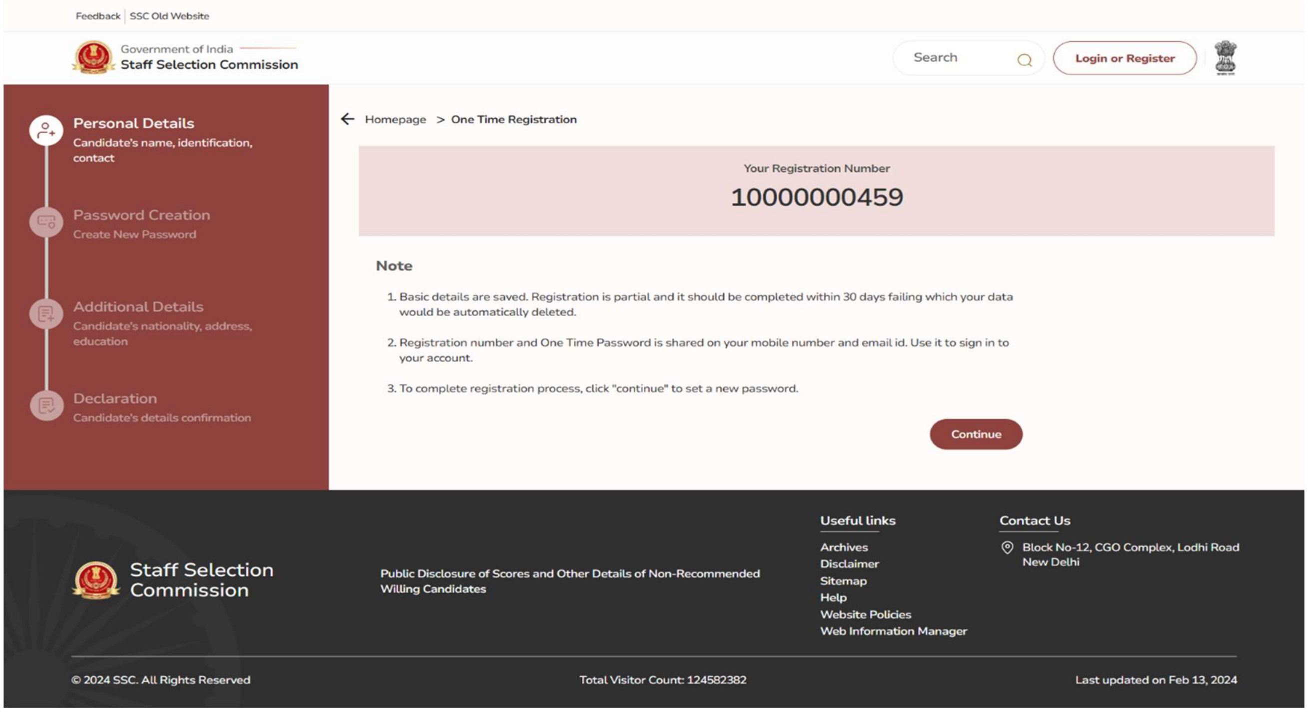
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

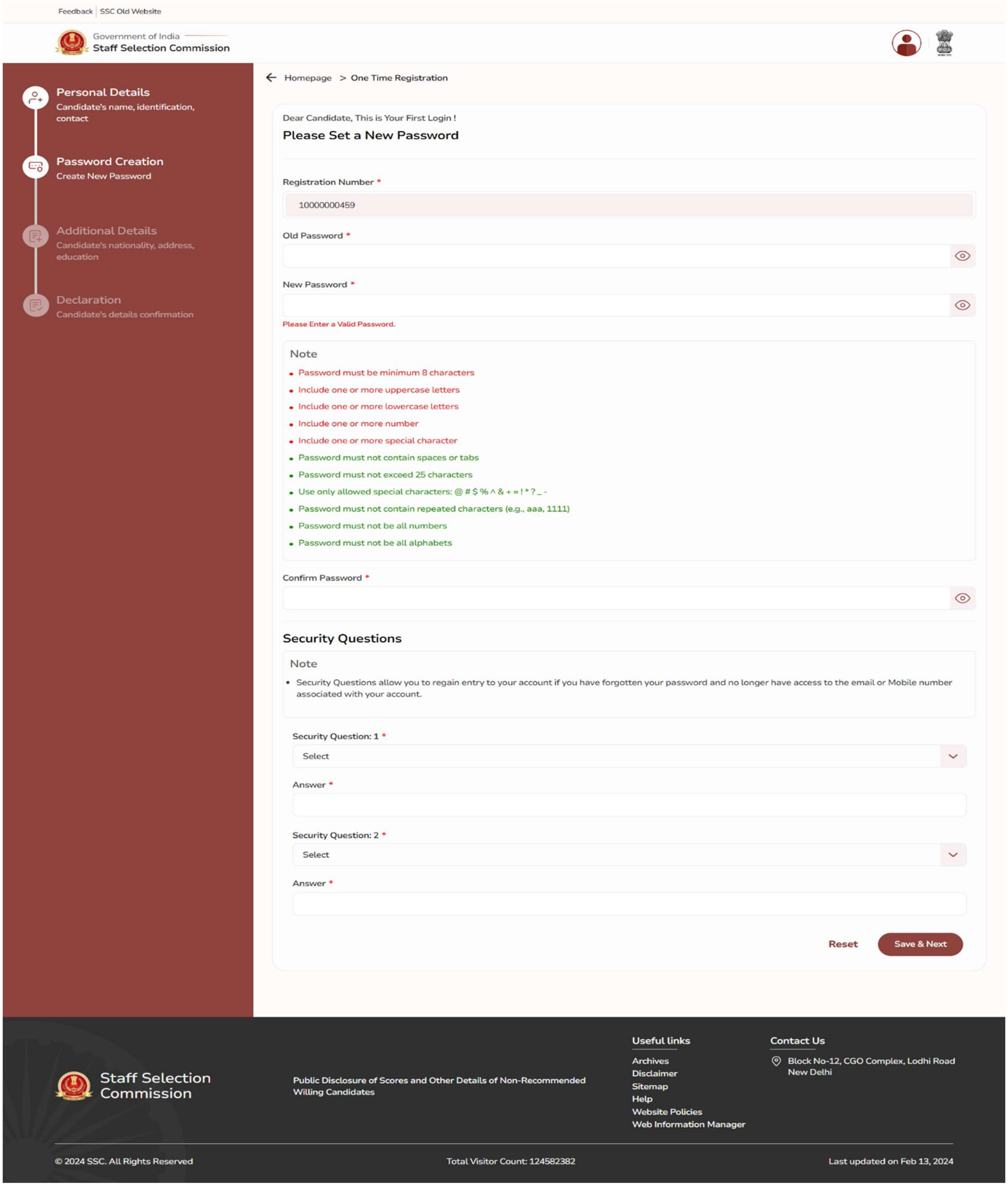

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

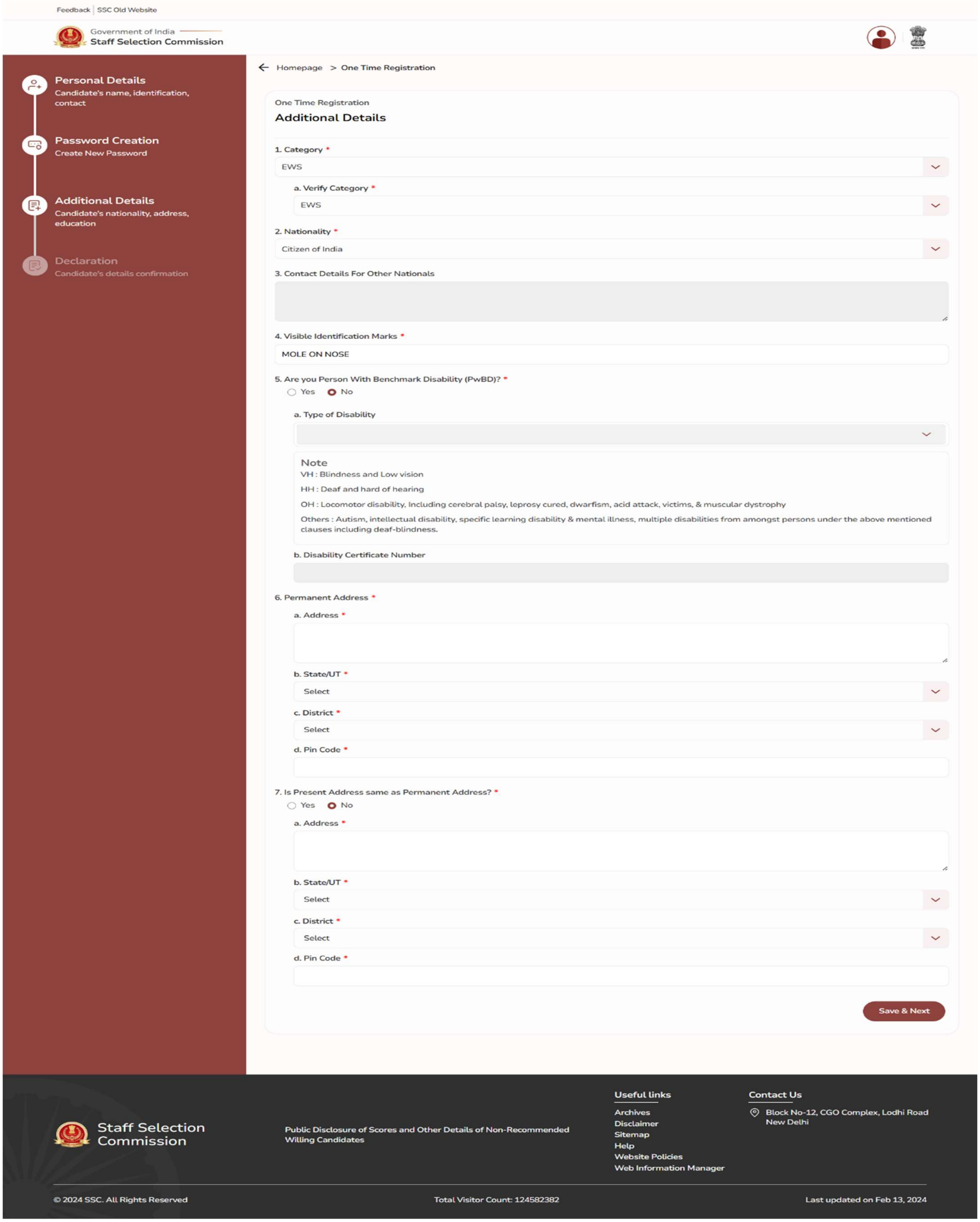

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
Yes No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
Yes No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

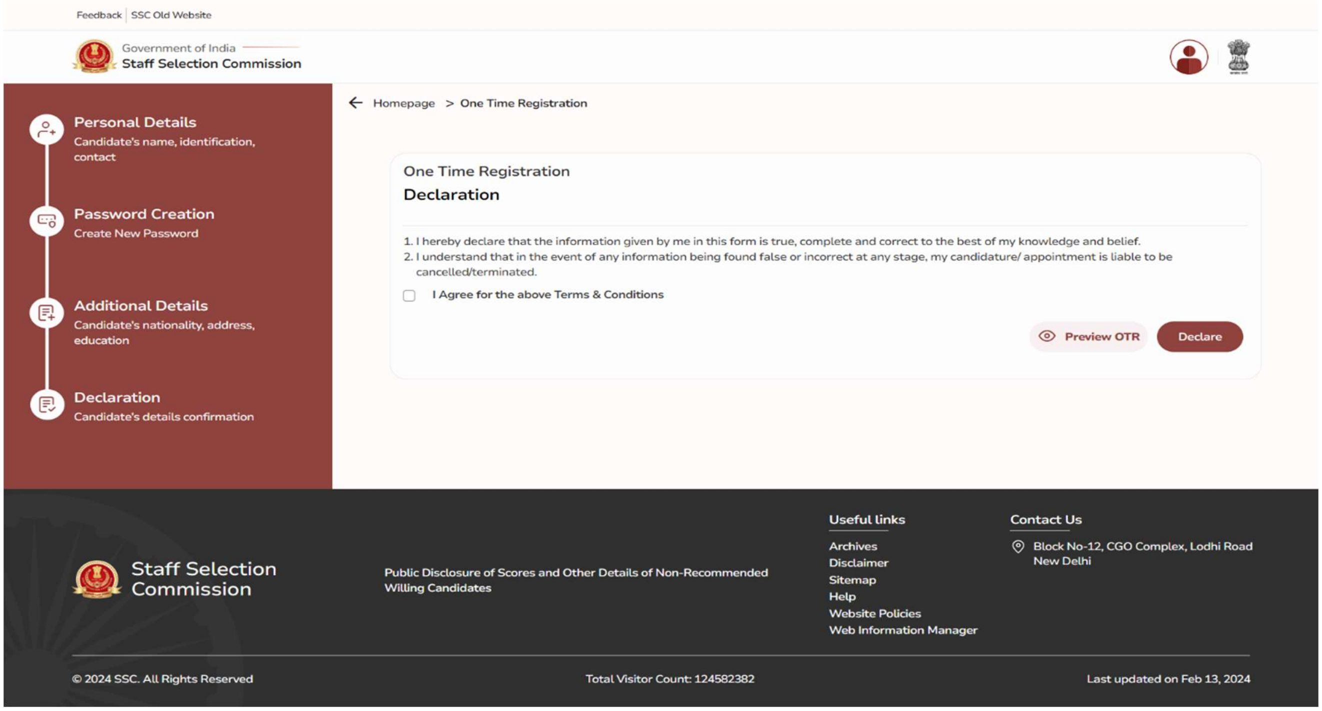
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-V

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो, और सामने का भाग पूरी तरह दिखाई दे। स्वीकृत /अस्वीकृत फोटो के नमूने **अनुबंध-VE** में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं हैं, तो रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुरूप होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

ख. जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। लघु / धुंधले / अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. "लाइव परीक्षा" टैब के अंतर्गत खंड "SSA/ UDC Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. कॉलम संख्या 1 से 18 में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो आपके डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर दिए गए "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उचित सुधार कर लें।

5. क्रमांक 19: कृपया अपनी सेवा /संवर्ग /विभाग इंगित करें।

6. क्रम क्रमांक 20: कृपया परीक्षा के वर्ष का चयन करें।

7. क्रम संख्या-21 और 21.1: कृपया संबंधित फीडर सेवा/संवर्ग में नियुक्ति की तिथि और सेवा अवधि बताएं।

8. क्रम संख्या-22: कृपया 'Yes' या 'No' का चयन करें।

9. क्रम संख्या- 23 और 23.1: कृपया आयु में छूट का अनुरोध और आयु छूट कोड बताएं।

10. क्रम संख्या-24: परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली एनसीआर रहेगा।

11. क्रम संख्या-25.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 25.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 36(क) का संदर्भ लें।

12. क्रम संख्या-25.2: सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 25.2 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 36(क) का संदर्भ लें।

13. क्रम संख्या-25.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 36(ख) अथवा 36(ग) के अनुसार, यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो इंगित करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो बेंचमार्क दिव्यांजन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 25.1 या 25.2 में 'Yes' का चयन किया है। यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 25.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-II** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 25.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 36(ख) अथवा 36(ग) को देखें।

14. क्रम संख्या- 25.4: प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस के रूप में सहायक की आवश्यकता को इंगित करें।

15. क्रम संख्या- 26: कृपया परीक्षा का माध्यम चुनें।

16. क्रम संख्या- 27: कृपया आवेदन करते समय उस मंत्रालय / विभाग/ कार्यालय का नाम तथा पूरे पते का विवरण दें जिसमें आप कार्यरत हैं।

17. क्रम संख्या- 27.1 और 27.2 : कृपया कार्यालय/कार्यालय प्रमुख का विवरण प्रदान करें।

18. क्रम संख्या- 28.1: कृपया 'Yes' या 'No' का चयन करें।

19. क्रम संख्या- 28.2: कृपया संबंधित संवर्ग/सेवा का नाम बताएं।

20. क्रम संख्या 28.3 से 28.5: कृपया अपने रोजगार का विवरण प्रदान करें।

21. क्रम संख्या 29: कृपया वह तिथि बताएं जब से आप अपनी संवर्ग/सेवा में नियमित जेएसए के रूप में निरंतर कार्यरत हैं।

22. क्रम संख्या 30.1 से 30.4: कृपया गैर-संवर्ग / प्रतिनियुक्ति/ लियन पद से संबंधित अन्य विवरण प्रदान करें।

23. क्रमांक 31.1 और 31.2: कृपया किसी लोक सेवा आयोग या किसी संस्था द्वारा अयोग्य ठहराने (disqualification) का विवरण प्रस्तुत करें।

24. क्रम संख्या 32: कृपया कालानुक्रमिक क्रम में सेवा का पूर्ण विवरण प्रदान करें।

25. क्रम संख्या 33.1 से 31.4: कृपया टंकण-लेखन परीक्षा का विवरण प्रदान करें।

26. क्रम संख्या-34.1 से 34.5: कृपया अपेक्षित दस्तावेज़/प्रमाणपत्र अपलोड करें ।

27. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो खींचे । धुंधले फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

28. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

29. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही है और ऊपर विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित फोटो/हस्ताक्षर संबंधी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया हैऔर आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें।

30. "I agree" चेकबॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें। पूर्वावलोकन में प्रदर्शित अपने आवेदन डाटा की सत्यता की पुष्टि कर "Submit Application" पर क्लिक करें।

31. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉर्ट्स

Application Form

Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.

- परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 429804093

Last updated on May 29, 2026

1 Candidate Information
- Personal Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/01/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

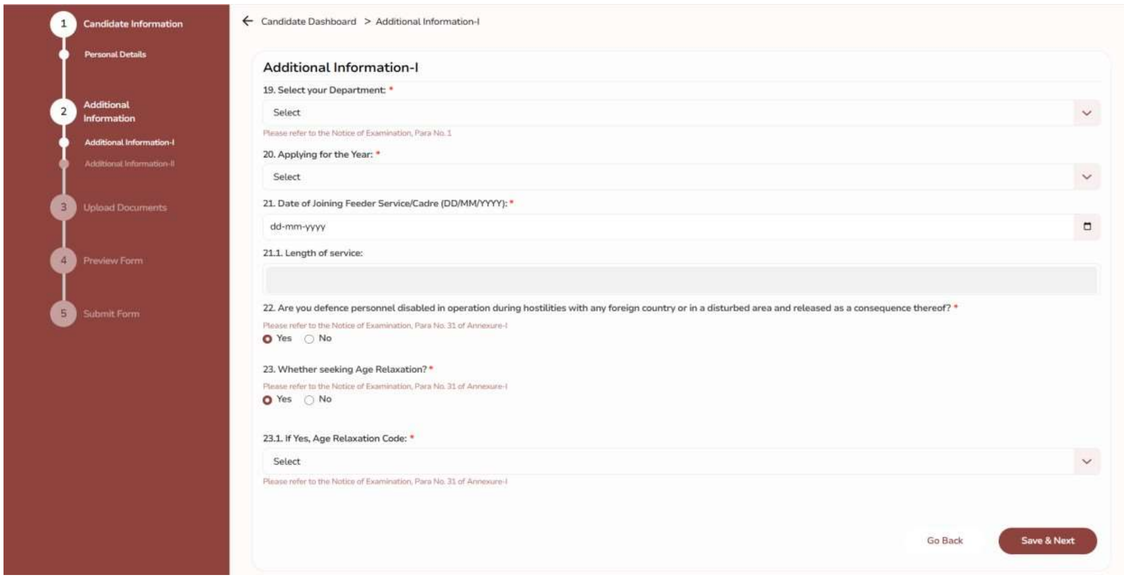

1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

19. Select your Department: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No.1

20. Applying for the Year: *
Select

21. Date of Joining Feeder Service/Cadre (DD/MM/YYYY): *
dd-mm-yyyy

21.1. Length of service:

22. Are you defence personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 31 of Annexure-I
Yes No

23. Whether seeking Age Relaxation? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 31 of Annexure-I
Yes No

23.1. If Yes, Age Relaxation Code: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 31 of Annexure-I

Go Back Save & Next

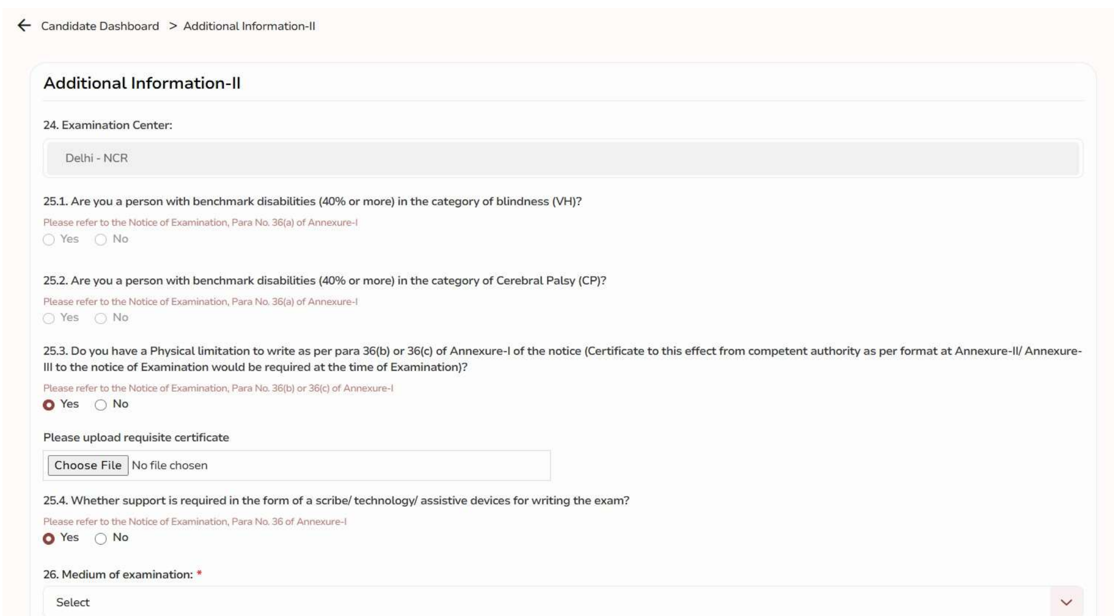

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

24. Examination Center:
Delhi - NCR

25.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 36(a) of Annexure-I
Yes No

25.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 36(a) of Annexure-I
Yes No

25.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 36(b) or 36(c) of Annexure-I of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-II/ Annexure-III to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 36(b) or 36(c) of Annexure-I
Yes No

Please upload requisite certificate
Choose File No file chosen

25.4. Whether support is required in the form of a scribe/ technology/ assistive devices for writing the exam?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 36 of Annexure-I
Yes No

26. Medium of examination: *
Select

Verify medium of examination: *

Select

27. Name and full Postal Address of the Ministry/ Department/ Office in which you are working at the time of applying:*

27.1. Name and designation of Head of Department:*

27.2. Name and designation of Head of Office:*

28.1. Are you permanent, regular or regularly appointed temporary Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk of your Service/ Cadre?

Yes No

28.2. Indicate the name of the Service/ Cadre to which you belong: *

Select

28.3. Date of confirmation in the Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk Grade, if permanent (MM/DD/YYYY):

dd-mm-yyyy

28.4. Date of appointment as Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk Grade, if your appointment is temporary (MM/DD/YYYY):

dd-mm-yyyy

28.5. Rank and the year of the examination if appointed on the basis of Clerk Grade Examination (By Direct Recruitment/ By Promotion/ By LDCE etc.) (e.g. 23/2016):

29. From which date have you been continuously employed as a regular Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk in your Service/ Cadre (DD/MM/YYYY)?

dd-mm-yyyy

30.1. Are you holding an Ex-Cadre Post?

Yes No

30.2. Whether the deputation to the Ex-Cadre Post has the approval of the competent authority?

Yes No

30.3. Are you holding Ex-Cadre Post on Deputation Basis or on Transfer Basis: *

Select

30.4. Do you continue to hold lien on Post of Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk in your Cadre/ Service?

Yes No

31.1. Have you ever been debarred or disqualified by any Public Service Commission/ Institution of Secretariat Training & Management/ Subordinate Service Commission/ Staff Selection Commission for any of the Examination/ selection?

Yes No

31.2. Give details of the case:

32. Complete details of service (in chronological order) by you under Government in different offices and Grades. *

Name Of the Dept/ Office *	Post held & Scale of pay *	State whether post held Permanently/ Probation/ Temporary *	From *	To *
			dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy

Add More

33.1. Have you passed the Monthly/ Quarterly/ Annually Typewriting Test held by the Staff Selection Commission for confirmation in the post of Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk?

Yes No

33.2. Please indicate the date of Typewriting test: (MM/DD/YYYY):

dd-mm-yyyy

33.3. Please indicate the Roll Number of Typewriting test:

33.4. Have you been exempted from passing the Typewriting Test? (Please quote the number and date of the order under which you were granted exemption from passing The Typewriting Test):

34. Give a list of the documents attached with the application (Please see paragraph 11) files should be (pdf/jpeg) *

34.1. Document as indicated in para 11(i) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(i) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

34.2. Document as indicated in para 11(ii) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(ii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

34.3. Document as indicated in para 11(iii) of Annexure-I

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(iii) of Annexure-I

Please upload certificate of essential educational qualification, if applicable

Choose File No file chosen

34.4. Document as indicated in para 11(iv) of Annexure-I.

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(iv) of Annexure-I

Please upload certificate for disabled defence personnel while in service, wherever applicable.

Choose File No file chosen

34.5. Document as indicated in para 11(v) of Annexure-I.

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(v) of Annexure-I

Please upload certificate of disability in case of PwBD candidate

Choose File No file chosen

Go Back | Save & Next

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

1. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

Or

2. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.** **Click here to read**
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back | Save & Next

अनुबंध-Vख

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-Vग

Signature

1. Good For Approval

2. Rejected

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-Vड़

Photograph

1. Good For Approval

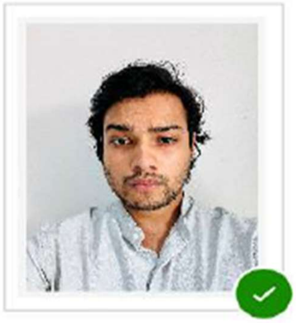

2. Rejected

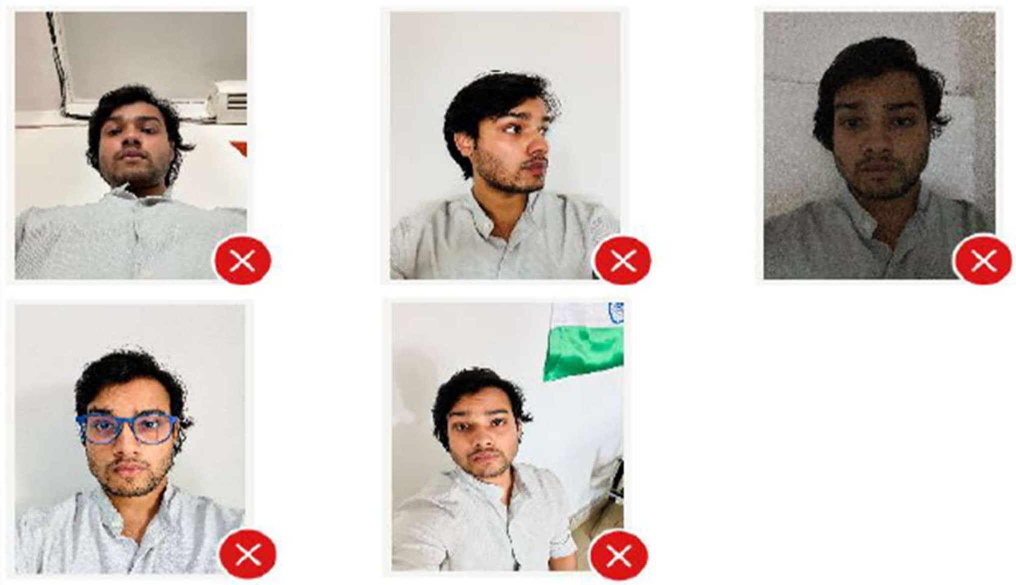

<u>अनुबंध-VI</u>

<u>विभाग अथवा कार्यालय, जिसमें अभ्यर्थी सेवारत है, के प्रमुख द्वारा भरे जाने हेतु</u>

प्रमाणित किया जाता है कि:

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी___________________________द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की उसके सेवा अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है।

(2) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि वह जिस जाति /जनजाति से संबंधित है वह जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति /जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(3) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हैं जिसके तहत वह परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हैं।

(4) वह परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों /विभागों / मंत्रालयों के नियमित रूप से नियुक्त दिनांक_____________________से अस्थायी/स्थायीवत कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक हैं और इस पर उनकी नियुक्ति निरंतर है।

(5) वह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(6) वह "स्थानांतरण" पद पर नियुक्त है और परीक्षा विज्ञप्ति में उल्लिखित पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखता/ रखती है।

(7) उसके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि उसे परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों / विभागों / मंत्रालयों के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक में पुष्टि या निरंतरता के उद्देश्य से परीक्षा की अधिसूचना से पूर्व आयोग की टंकण परीक्षा पास करने की छूट दी गई है।

(8) उसके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि उसने परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों / विभागों / मंत्रालयों के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक में पुष्टि या निरंतरता के उद्देश्य से परीक्षा की अधिसूचना से पूर्व आयोग की टंकण परीक्षा को पास कर लिया है।

(9) अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एतद्द्वारा संलग्न है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित **वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025** की विज्ञप्ति में उल्लिखित सेवा की अवधि और निर्णायक तिथि को ध्यान में रखते हुए वर्ष **<u>2025</u>** के लिए सभी अर्हता /पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

(10) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए अपने आवेदन पत्र को दिनांक_______________________को विभाग/ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है और यह कि विभाग/ संगठन में उपयुक्त श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध है।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी अनुमोदित सेवा की गणना हेतु निर्णायक तिथि पर सेवा की अवधि के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

हस्ताक्षर____

नाम________________________________ ___________________________________

पदनाम____

विभाग/कार्यालय____

पूरा डाक पता ____

दिनांक____

जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें।

नोट-1: अग्रेषण प्राधिकारी अनलाइन आवेदन पत्र के मुद्रित संस्करण में अभ्यर्थी की फ़ोटो पर हस्ताक्षर करे तथा फोटोग्राफ को विकृत किए बिना फोटोग्राफ पर अपनी आधी मुहर एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मुद्रित संस्करण पर आधी मुहर लगाए। इसके बिना (आवेदन पत्र के फोटो पर अग्रेषित प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर) आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-2: अभ्यर्थी का पूर्ण आवेदन जिसे अंतिम तिथि के बाद संगठन/विभाग द्वारा आयोग को भेज जाएगा, उसमें संगठन/ विभाग का प्रमाण पत्र कि "अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समापन तिथि या उससे पहले विभाग को प्रस्तुत किया गया था" संलग्न करना होगा। तथापि, इस संबंध में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट-3: वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 की विज्ञप्ति में निर्धारित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग या कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

अनुबंध- VII

प्रारूप-V

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- पेशी संबंधी कुपोषण
- अभिसाधित कुष्ठ
- बौनापन
- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- तेजाब हमले के पीड़ित
- अल्प दृष्टि
- श्रवण दिव्यांगता
- वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- बौद्धिक दिव्यांगता
- विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
- मल्टीपल स्लेरोसिस
- पार्किन्सन बीमारी
- हेमोफिलिया
- थेलेसेमिया
- सिकल सेल डिसीज़

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में ....निदान किया गया है।

(घ) वे ______________%((आंकड़ों में)______________प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और दिनांक__________तक वैध है), जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक ______________को जारी _________के तहत अधिसूचित दिशनिर्देशों के अनुसार है।

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो	संबंधित संघराज्य क्षेत्र अथवा राज्य का लोगो

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

<u>प्रारूप-VI</u>

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* ----- --*जन्म तिथि* ------------------ (*दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ---- ---जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	निःशक्तता प्रतिशत
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			

10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिसीज़			

(नोट: केवल निदान की गई विकलांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें ______________% (आंकड़ों में) ___________ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और ________ तक वैध) है।

दिव्यांग के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

अनुबंध-IX

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रैंक नंबर______________________________
श्री______________________________ यूनिट______________________________
विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में सैनिक सेवा करते हुए फौजी कार्रवाई में दिव्यांग हुए और इसके परिणामस्वरुप उन्हें सेवामुक्त किया गया।

हस्ताक्षर______________________________

नाम ______________________________

पदनाम______________________________

मोबाइल नं.______________________________

दिनांक______________________________

स्थान______________________________

***जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें।**